चुनाव अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प. 12(6)साप्र / 2 / 2023 जयपुर, दिनांकः 28 DEC 2023

– : आदेश :–

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.12.2023 द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 03–करणपुर, जिला गंगानगर में मतदान दिवस दिनांक 05 जनवरी, 2024 को संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कार्मिकों के आवेदन करने पर संवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु राज्य के समस्त जिला कलक्टर्स / विभिन्न विभागों / उपक्रमों / बोर्ड / निगम आदि के विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत किया गया था।

उक्त आदेश की निरन्तरता में मतदान दिवस दिनांक 05 जनवरी, 2024 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 03–करणपुर, जिला गंगानगर में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर), गंगानगर को अधिकृत किया जाता है। साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार ।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(मनमोहन गौड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र कमांक 11804 दिनांक 24.12.2023 के कम में।
10. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिवगण।
11. संम्भागीय आयुक्त, बीकानेर, राजस्थान।
12. जिला कलक्टर, गंगानगर, राजस्थान।
13. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर बैंच, जयपुर।
14. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।

उप शासन सचिव

RajKaj Ref
5241659

Signature valid
Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation: Assistant Secretary
Date: 2023.12.28 18:17:50 IST
Reason: Approved

चुनाव अति-आवश्यक
आज ही जारी हो

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः– विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 03–करणपुर जिला गंगानगर के स्थगित चुनाव, 2023– मतदान दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने एवं कार्मिकों को संवैतनिक अवकाश दिये जाने बाबत्।

प्रसंग :– विभागीय यू.ओ. नोट कमांक 11137 दिनाक 05.12.2023 एवं भारत निर्वाचन आयोग का पत्र कमांक No.78/EPS/2023 दिनांक 05.12.2023 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक प.12(6)साप्र/2/2023 दिनांक 11.12.23

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने अपने प्रासंगिक पत्र दिनांक 05.12.2023 के द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 03–करणपुर जिला गंगानगर के स्थगित चुनाव, 2023 हेतु मतदान दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने एवं कार्मिकों को संवैतनिक अवकाश दिये जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किए है। उक्त की पालना में सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने प्रासंगिक आदेश दिनांक 11.12.2023 द्वारा ऐसे समस्त कर्मचारी/अधिकारी, जो 03–करणपुर, जिला गंगानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता है, को मतदान दिवस दिनांक 05 जनवरी, 2024 को उनके द्वारा (ऐसे मतदाता द्वारा) आवेदन करने पर संवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु राज्य के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स)/विभिन्न विभागों/उपक्रमों/बोर्ड/निगमों आदि के विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त मतदान दिवस 05 जनवरी, 2024 का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 03–करणपुर जिला गंगानगर में एवं पुर्नमतदान की स्थिति में पुर्नमतदान दिवस को संबंधित मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) गंगानगर को प्राधिकृत कराया जाना है।

अतः इस संबंध में आपके द्वारा जारी आदेशों की प्रति इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें जाने का श्रम करावें। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(सुरेश चन्द्र)
विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग
राजस्थान, जयपुर।

विशिष्ट शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

अ.शा.टीप क्रमांक प.8(2)(1)निर्वा./2023/11804
जयपुर, दिनांक :– 24.12.2023